B — कौशल एवं अवसर

SFURTI के तहत सामान्य सुविधा केंद्र (Common Facility Centre (CFC) under SFURTI)

यह संस्थान क्या है

सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) एक साझा उत्पादन एवं सहायता सुविधा है जो परंपरागत उद्योगों के कारीगरों एवं कामगारों के क्लस्टरों के लिए बनाई जाती है। यदि किसी जिले में खादी, हथकरघा, बाँस शिल्प, मिट्टी के बर्तन, कॉयर, खाद्य प्रसंस्करण या इसी तरह के परंपरागत उद्योगों में काम करने वाले लोगों की एकाग्रता है, तो CFC उन्हें आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण, डिज़ाइन सहयोग और विपणन सहायता तक पहुँच देता है, जो व्यक्तिगत कारीगर वहन नहीं कर सकते। CFC सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष की योजना (SFURTI) के तहत बनाए जाते हैं। हर जिले में CFC नहीं होता — ये केवल वहीं होते हैं जहाँ परंपरागत उद्योग क्लस्टरों की पहचान की गई हो और एक कार्यान्वयन एजेंसी अनुमोदित हो।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप एक परंपरागत कारीगर हैं या किसी स्थानीय शिल्प उद्योग में काम करते हैं, तो आपके इलाक़े का CFC आपको बेहतर उपकरण, प्रशिक्षण, कम लागत पर कच्चा माल, और बड़े बाज़ारों में अपने उत्पाद बेचने में मदद देता है — और इसके लिए आपको स्वयं महँगी मशीनरी में निवेश नहीं करना पड़ता।

शासन

कानून / नीति	दायरा
SFURTI दिशा-निर्देश (MSME मंत्रालय)	क्लस्टर पहचान, CFC स्थापना, अनुदान संरचना, विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) गठन
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) अधिनियम, 1956	KVIC खादी और ग्रामोद्योग क्लस्टरों के लिए नोडल एजेंसी है
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006	परंपरागत उद्योगों सहित MSME सहायता का ढाँचा

- **केंद्र:** MSME मंत्रालय (योजना डिज़ाइन और निधि) → KVIC और कॉयर बोर्ड (नोडल एजेंसियाँ)
- **कार्यान्वयन:** कार्यान्वयन एजेंसी (IA — NGO, ट्रस्ट, सहकारी समिति या उत्पादक कंपनी) → विशेष प्रयोजन वाहन (SPV — क्लस्टर के लिए गठित सोसायटी या धारा 8 कंपनी)
- **धरातल पर:** क्लस्टर विकास कार्यपालक (CDE) दैनिक संचालन का प्रबंधन करते हैं
- **क्लस्टर स्तर पर कार्य समिति** — संरचना: IA प्रतिनिधि + बैंक प्रतिनिधि + 3 कारीगर (SPV द्वारा नामित) + नोडल एजेंसी प्रतिनिधि + तकनीकी एजेंसी प्रतिनिधि + MSME विकास संस्थान (MSME-DI) + DIC (जिला उद्योग केंद्र) महाप्रबंधक। मासिक बैठक होती है
- **CFC में अनिवार्य प्रदर्शन:** हर CFC पर एक सूचना एवं संचार मैट्रिक्स अनिवार्य है, जिसमें क्लस्टर पहचान, योजना विवरण, शासन संपर्क, कारीगर सूची, और शिकायत एस्केलेशन प्रदर्शित होते हैं। पूर्ण तत्व सूची SFURTI दिशा-निर्देशों में
- **SPV अधिशेष वितरण:** SPV के अधिशेष का अधिकतम 10% IA को जा सकता है; कम-से-कम 90% कारीगरों और क्लस्टर में पुनर्निवेश के बीच साझा होना चाहिए, जिसमें कम-से-कम 60% सीधे कारीगरों को जाए। 90% के भीतर का बँटवारा SPV संचालन निकाय के विवेक पर है, मंत्रालय को सूचना के साथ
- **वित्त-पोषण:** हार्ड हस्तक्षेप 95% (NER, J&K, पहाड़ी राज्य) या 90% (अन्य) वित्त-पोषित; शेष राशि IA नकद में देती है। दो क्लस्टर श्रेणियाँ — नियमित क्लस्टर (500 कारीगर तक, ₹2.5 करोड़ तक) और मेजर क्लस्टर (500 से अधिक कारीगर, ₹5 करोड़ तक)। प्रति परियोजना कुल सहायता ₹5 करोड़ पर सीमित

मुख्य पद

पद	जिम्मेदारी
क्लस्टर विकास कार्यपालक (CDE)	दैनिक CFC प्रबंधन; प्रशिक्षण, उत्पादन, कारीगर जुड़ाव का समन्वय
SPV बोर्ड सदस्य	शासन निकाय जिसमें प्रमुख कारीगर और IA प्रतिनिधि शामिल हैं
प्रशिक्षक / मास्टर शिल्पकार	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण; बाहरी विशेषज्ञ या स्थानीय कारीगर हो सकते हैं
कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि	परियोजना की निगरानी; समय-समय पर दौरा कर सकते हैं

अनिवार्य सेवाएँ

- आधुनिक उपकरणों के साथ सामान्य उत्पादन/प्रसंस्करण सुविधा, जो व्यक्तिगत कारीगर वहन नहीं कर सकते
- थोक खरीद के माध्यम से कम लागत पर कच्चे माल बैंक की उपलब्धता
- कौशल विकास और प्रशिक्षण: कारीगर उन्नयन, डिज़ाइन, नई प्रौद्योगिकी पर कार्यशालाएँ
- डिज़ाइन और उत्पाद विकास: पेशेवर परामर्श, परीक्षण, गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग
- विपणन और बाज़ार जुड़ाव: साझा ब्रांडिंग, प्रदर्शनियाँ, ऑनलाइन उपस्थिति, ख़रीदारों से संपर्क
- व्यवसाय सहायता: कारीगरों के लिए उद्यम पंजीकरण, ऋण जुड़ाव (मुद्रा, बैंक ऋण), प्रमाणन (FSSAI, BIS)
- **CFC के हर कारीगर के लिए IA की जिम्मेदारियाँ:** प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत बैंक खाता खुलवाना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में नामांकन, आधार-आधारित पहचान-पत्र, और अनुभव-यात्राएँ

संबद्ध योजनाएँ

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)** — क्लस्टर के भीतर व्यक्तिगत या समूह उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण
- **मुद्रा योजना** — उद्यम शुरू करने या विस्तार करने वाले कारीगरों के लिए सूक्ष्म-वित्त
- **उद्यम पंजीकरण** — MSME पंजीकरण जो सरकारी योजनाओं तक पहुँच खोलता है
- **एक जिला एक उत्पाद (ODOP)** — जिले की पहचान के साथ संरेखित उत्पाद संवर्धन
- **GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस)** — क्लस्टर उत्पादों की सरकारी खरीद
- **GI (भौगोलिक संकेत)** — GI-पात्र क्लस्टर उत्पादों के लिए उत्पाद प्रमाणन

कैसे ढूँढें

पोर्टल: sfurti.msme.gov.in। कार्यान्वयन एजेंसी विवरण के साथ क्रियाशील-क्लस्टर सूची sfurti.msme.gov.in/SFURTI/Reports/DPR_Functional_Upto.aspx पर है। खादी और ग्रामोद्योग क्लस्टरों के लिए kvic.gov.in भी देखें

इसके अलावा: DIC या जिला कलेक्ट्रेट में पूछें; स्थानीय कारीगर समुदायों से सीधे पूछें — बुनकर, कुम्हार, बाँस-शिल्पी जानते होंगे कि CFC मौजूद है या नहीं

मुख्य सुविधाएँ

एक क्रियाशील CFC में होना चाहिए: स्थापित और संचालन-योग्य मशीनरी के साथ एक उत्पादन/प्रसंस्करण हॉल, एक कच्चे माल भंडारण क्षेत्र, कौशल और डिज़ाइन कार्यशालाओं के लिए एक प्रशिक्षण कक्ष, उत्पादों के लिए एक प्रदर्शन या बिक्री केंद्र, CDE और SPV के लिए कार्यालय स्थान, और तैयार उत्पादों के लिए एक पैकेजिंग इकाई।

एक क्रियाशील CFC कैसा दिखता है

- CFC भौतिक रूप से कार्यशील है, मशीनरी उपयोग में है, और कारीगर मौजूद हैं
- कच्चे माल बैंक भरा हुआ है और कारीगर उससे खरीद रहे हैं
- पिछले 6 महीनों में प्रशिक्षण या डिज़ाइन कार्यशालाएँ आयोजित हुई हैं
- उत्पाद प्रदर्शित हैं और ख़रीदारों के लिए उपलब्ध हैं, स्थानीय बाज़ार से परे बिक्री हो रही है
- SPV गठित और पंजीकृत है, बोर्ड में कारीगर प्रतिनिधित्व के साथ
- क्लस्टर के कारीगरों के पास उद्यम पंजीकरण और ऋण तक पहुँच है
- कारीगर अपने अधिशेष-हिस्से की प्राप्ति की पुष्टि कर सकते हैं
- सूचना एवं संचार मैट्रिक्स बोर्ड प्रदर्शित और अद्यतन है
- कार्य समिति की बैठकों के अभिलेख रखे जाते हैं
- 100% कारीगरों के पास SPV शेयर हैं (कम-से-कम 2/3 शेयरधारक संचालन बोर्ड पर हैं)
- कारीगर PMJDY, PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना (APY) में नामांकित हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु क्लस्टर विकास कार्यपालक (CDE) है, SPV बोर्ड समकक्ष एस्केलेशन के रूप में। जिला स्तर पर कार्य समिति औपचारिक समीक्षा मंच है। कारीगर सीधे IA से भी अपनी चिंताएँ उठा सकते हैं।

सेवा के बाद। मामला कार्यान्वयन एजेंसी (IA) प्रमुख, नोडल एजेंसी (KVIC या कॉयर बोर्ड), और MSME मंत्रालय के SFURTI प्रभाग तक बढ़ाया जाता है। जिला कलेक्टर के पास प्रशासनिक निगरानी है।

बाहरी। CHAMPIONS (champions.gov.in) MSME मंत्रालय का शिकायत पोर्टल और मुख्य एस्केलेशन है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) (pgportal.gov.in) केंद्रीय-मंत्रालय शिकायतें संभालती है। KVIC के पास अपना शिकायत चैनल kviconline.gov.in पर है। कारीगरों को प्रभावित करने वाले बैंक-जुड़ाव मुद्दों (मुद्रा / बैंक ऋण / PMJDY के तहत खाता खुलवाना) के लिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन cms.rbi.org.in पर अधिकार-क्षेत्र रखता है।